

निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान जयपुर।

प्लॉट नम्बर-04/01/10-11, सैक्टर नम्बर-04, विद्याधर नगर
फोन :- 0141-2612592, ई-मेल : esstt.hghq.rj@rajasthan.gov.in
Website : <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक: निगूर/ई-1(5)(1-5)2025

दिनांक:- ई-हस्ताक्षरानुसार

:- आदेश :-

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष 2024 में आयोजित लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2024 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक विभाग को आवंटित किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम-1999 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर वित्त विभाग (नियम डिवीजन) द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक: एफ. 15 (1) एफ.डी. /रूल्स/2017 दिनांक: 30.10.2017 के शिडयूल-4 के तहत पे-मेट्रिक्स के पे लेवल-5 में 14600/- (अक्षरे रुपये चोदह हजार छः सो मात्र) नियत पारिश्रमिक मासिक की दर से अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाकर एतद् द्वारा पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. स.	मेरिट क्रमांक	नाम अभ्यर्थी/पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	वर्ग/चयनित वर्ग	पदस्थापन कार्यालय
1.	1981	श्री दीपक कुमार शर्मा/ श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	15.07.2001	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निदेशालय गृह रक्षा, जयपुर
2.	2102	श्री योगेन्द्र कुमार दुबे/ श्री त्रिलोक दुबे	04.07.2001	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर
3.	2133	श्री सुखवीर सिंह/ श्री भवानी सिंह	08.02.1999	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर
4.	2330	श्री आकाश कुमार शर्मा/ श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा	28.12.1999	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निदेशालय गृह रक्षा, जयपुर
5.	2493	श्रीमती रविना शर्मा/ श्री कृष्ण कुमार शर्मा	23.09.1997	सामान्य	निदेशालय गृह रक्षा, जयपुर
6.	2768	सुश्री कनिका कालरा/ श्री नरेश कुमार कालरा	19.12.1995	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निदेशालय गृह रक्षा, जयपुर
7.	3532	सुश्री कोमल शर्मा/ श्री बिजेन्द्र कुमार शर्मा	08.07.2000	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निदेशालय गृह रक्षा, जयपुर
8.	3679	सुश्री दीक्षा पंचाली/ श्री संतोष कुमार पंचोली	21.08.1998	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निदेशालय गृह रक्षा, जयपुर

- वित्त विभाग के आदेश दिनांक: 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत पारिश्रमिक (**Fixed Remuneration**) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।



3. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा, यदि किसी कारण वश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित किया जावे कि कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. परीक्षाकाल (**Probation Period**) में उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. उक्त परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 15 (1) वित्त /नियम/2017 दिनांक: 30.10.2017 के अन्तर्गत 15 दिवस आकस्मिक अवकाश देय है।
6. 02 वर्ष की परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण **कनिष्ठ सहायक** के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल संख्या-5 में नियमानुसार वेतन देय होगा।
7. परीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
8. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषजनक नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र इस सम्बन्ध में लागू होंगे।
11. अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रुपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर नियुक्तकर्ता द्वारा इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेंगे।
12. परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान राज्य सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक:प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम-2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (**Fixed Remuneration**) के हकदार होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
13. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

14. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि **कनिष्ठ सहायक** के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आदेशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे। अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ई.ओ.बी 457

(मालिनी अग्रवाल IPS)
महानिदेशक एवं महासमादेष्टा
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महासमादेष्टा-द्वितीय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सीनियर स्टाफ आफिसर-प्रथम/द्वितीय, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर।
6. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं भरतपुर।
7. सूचना सहायक, निदेशालय, गृह रक्षा, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।
8. सम्बन्धित कार्मिक।
9. श्री दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, गांव/पोस्ट- कैलाई, तहसील-सिकराय, जिला-दौसा, 303508
10. श्री योगेन्द्र कुमार दुबे पुत्र श्री त्रिलोक दुबे, ई-03, रणजीत नगर, भरतपुर, 321001
11. श्री सुखवीर सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह, 21 गुवाई कुआं के पास, गांव- आजडोली, पोस्ट-आकोदा, तहसील-छोटी खाटू, जिला-डिडवाना कुचामन, 341506
12. श्री आकाश कुमार शर्मा पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, जैन मोहल्ला पट्टी खुर्द, तहसील-बामनवास, जिला- सवाई माधोपुर, 322211
13. श्रीमती रविना शर्मा पत्नि कृष्ण कुमार शर्मा, नाहरिया का बास, पोस्ट-शिवदासपुरा तहसील-चाकसू, जिला- जयपुर, 303903
14. सुश्री कनिका कालरा पुत्री नरेश कुमार कालरा, मिल्की मोहल्ला, भुसावर, जिला-भरतपुर, 321406
15. सुश्री कोमल शर्मा पुत्री बिजेन्द्र कुमार शर्मा, केशवपुरा पण्डा पाड़ा, हिण्डोन सिटी, जिला- करौली 322230
16. सुश्री दीक्षा पंचोली पुत्री संतोष कुमार पंचोली, मकान नम्बर-1716, चौथा चौराहा, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर, 302003
17. निजी पत्रावली।
18. ई.ओ.बी.।